

दित्ती विधान समा कार्य मंत्रणा समिति

सत्रहवां प्रतिवेदन

१ 24 मार्च, 1998 को प्रस्तुत १

DELHI VIDHAN SABHA

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

(SEVENTEENTH REPORT)

(Presented on 24 March, 1998)

विल्ली विधान सभा सचिवालय, दिल्ली ।

Delhi Legislative Assembly Secretariat, Delhi.

# वित्सी विधान सभा कार्य कंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

## 17 वां कृतिवेदन

## 24 मार्च, 1998 को प्रस्तुत 🖇

#### सीमीत का गठन

1:	श्री चरती लाल गोयल, माननीय अध्यक्ष	सभापति
2:	श्री राजेन्द्र मुप्ता	
	विधि, न्याय एवं विधायी कार्य मंत्री	सदस्य
3 •	श्री राम भज	सदस्य
4 .	श्री देवेन्द्र सिंह	सदस्य
5 .	श्री गौरी शंकर भारदाज	सदस्य
6 •	श्री महेन्द्र सिंह साथी	सदस्य
7 .	श्री शोएव इकबाल	सदस्य
	श्री आलोक कुमार	विशेष आमंत्रित
	सीचवालय	and the second
1 ·	श्री पी एन नुप्ता	सचिव
2 .	श्री एस के शर्मा	विशेष सचिव
3.	श्री पी, सी, अग्रवाल	उप सचिव
4 •	श्री के एल को हली	समिति अधिकारी

सिमिति को सोमवार, 23 मार्च, 1998 को पूर्वाह्न 11; 00 बजे उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण के साथ प्रारम्भ हो रहे बजट सत्र के कार्यक्रम के बारे में सूचित किया गया।

#### बजट

सिमिति ने निर्णय लिया कि वित्त मंत्री दारा 24 मार्च,1998 को बजट प्रस्तुत किया जायेगा । बजट पर चर्चा 25 एवं 26 मार्च,1998 को होगी एवं इसे वित्त मंत्री के समाप्ति भाषण एवं पारित करने के उक्देश्य से 30 मार्च,1998 को सूचीबद किया जाये ।

## उप-राज्यपाल का अभिभाषण

and the second समिति ने निर्णय लिया कि उप-राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को चर्चा के लिये 31 मार्च, 1998 को सूचीबंद किया जाये। इस पर चर्चा 1 एवं 2 अप्रैल, 1998 को होगी और इसे पारित करने के लिये 6 अप्रैल, 1998 को सूची बुढ़ किया जाये। TE TO SEE TO SEE

### विषायी प्रस्ताव

विधायी कार्य मंत्री एवं मुख्य सचेतक ने समिति को सूचित किया कि सत्र के दौरान निम्नलिखित विधेयक पुरः स्थापित किये जायेंगे :-

- इन्द्रपृस्य विश्वविद्यालय विधेयक -1: दिल्ली के लिये एक विश्वविद्यालय की स्थापना करने का प्रावधान करने के लिये।
- दिल्ली विधान सभा सदस्य वेतन एवं भत्ते ह संशोधन ह विधेयक -2: विधायकों के वेतन एवं भत्तों में वृद्धि करने का प्रावधान करने हेतु ।

इसके अतिस्वित समिति को सूचित किया गया कि निम्नलिसित विधेयक भी पुरःस्थापित किये जा सकते हैं :-

- दिल्ली चिट फंड विधेयक 1;
- दिल्ली अग्नि प्रतिस्था विधेयक 2:

## अल्पकालिक चर्चा

क. सं. निश

समिति को सूचित किया गया कि सदस्यों से लोक हित के विभिन्न विषयों पर अल्पकालिक चर्चा की।।सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। सीमित नेनिम्नलिसित विषयों पर अल्पकालिक चर्चा की स्वीकृति देने का निर्णय लिया :-

2, 4	, idia	1 -1	1 -1				
				Wei 17			
						0	1
1 .	1 . 4 . 98	वायु प्रदूषण	, भोमगत	दोषत ज	ल एव	श्रा अ	ालोककुमार
1	1 1 70	?	8	6.			9
TEI			A men	and and	er marin		
	21	यमुना नदी	क पाना	साहत ज	लि प्रदूषण		

में खतरनाक वृदि । 2. 3.4.98 बढ़ी हुई दरों पर गृह कर लगाये जाने के बावजूद ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों और बहुमंजिले भवनों में रहने वाले 20 लाख नागरिकों की घोर उपेक्षा तथा

विषय

उनमें आवश्यक सुविधाओं के प्रावधान का अभाव।

श्री मुकेशशर्मा

3. 27.3.98

पांचवें वेतन आयोग की सिफास्थिों श्री गौरी शंकर भारदाज के अनुसार अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों को वेतनमानों, चिकित्सा भत्तों इत्यादि की स्वीकृति के मामलों में अन्याय ।

सिमिति ने इच्छा व्यक्त की कि समयाभाव की दिष्टि से अल्पकालिक चर्चाओं को दो शुक्रवारों हैंगैर सरकारी सदस्यों के कार्यों को निपटाने के बाद लेने के लिये हैं और कार्यों की स्थिति को मददेनजर स्वते हुए अन्य दिनों की कार्य सूची में दर्ज किया जाए ।

सिमिति ने श्री राजेन्द्र गुप्ता, विधायी कार्य मंत्री एवं उनकी अनुपस्थिति में श्री महेन्द्र सिंह साथी को सदन में सिमिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत किया ।

दिल्ली,

मार्च, 1998

इरती लाल गोयल 
 सभापति
 कार्य मंत्रणा समिति

#### DELHI VIDHAN SABHA

#### BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

( SEVENTEENTH REPORT )

(Presented On 24-3-1998)

### CONSTITUTION OF COMMITTEE

1.	Shri Charti Lal Goel, Hon'ble Speaker	Chairman
2.	Shri Rajendra Gupta, Minister of Law, Justice & Legislative Affairs.	Member
3.	Shri Ram Bhaj	Member
4.	Shri Devendra Singh	Member
5.	Shri Gauri Shanker Bhardwaj	Member
6.	Shri Mahinder Singh Saathi	Member
7.	Shri Shoaib Iqbal	Member
	Shri Alok Kumar	Special Invitee

#### SECRETARIAT

1.	Shri P.N.	Gupta	Secretary	Secretary		
2.	Shri S.K.	Sharma	Spl. Secre	tary		
3.	Shri P.C.	Agarwa1	Deputy	Secretary		
4.	Shri K.L.	Kohli	Committee	Officer		

The Committee was apprised of the programme of the ensuing Budget Session which will commence with L.G's Address on 23rd March, 1998 at 11.00 AM.

#### BUDGET

The Committee decided that the Budget may be presented by the Finance Minister on 24th March. The discussion thereon may be held on 25th and 26th March and it may be listed for Finance Minister's concluding speech and for passing for 30th March.

#### L.G's ADDRESS:

that discussion on Motion of The Committee decided Thanks on L.G's Address may be listed for 31st March, 1998. Discussion thereon may take place on 1st and 2nd April, and it may be listed for adoption on 6th April.

#### LEGISLATIVE PROPOSALS:

The Minister of Legislative Affairs and the Chief Whip Committee that the following Bills will introduced during the session:-

- Indraprastha University Bill -(i) to provide for setting up of a University for Delhi.
- Delhi MLAs' Salaries and Allowances (Amendment) (ii) Bill to provide for enhancement of salaries and allowances of MLAs.

In addition the Committee was informed that the following Bills may also be introduced:-

- The Delhi Chit Fund Bill. 1.
- Delhi Fire Protection Bill.

## SHORT DURATION DISCUSSIONS:

The Committee was informed that 11 notices of Short Duration Discussions on various subjects of public interest have been received from the members. The Committee decided that Short Duration Discussions may take place on the following subjects:-

S.No.	Date	Subject	Name	e of Member
1.	1-4-98	The alarmig rise in air pollution, under ground water contamination and water pollution including of River Yamuna.	Shri Kumar	Alok
		OI KILOI I		Contd

Contd....

S.No.	Date	Subject	Name of Member
2.	3-4-98	Utter neglect of 20 lakh residents of Group Housing Societies and Multi-storeyed Flats and non-provision of necessary facilities to them despite levy of House Tax at enhanced rates.	Shri Mukesh Sharma
3.	27-3-98	Injustice in the matter of grant of pay scales, medical allowances etc. to various categories of teachers as a result of Fifth Pay Commission's Recommendations.	Shri Gauri Shanker

The Committee desired that in view of the paucity of time, the Short Duration Discussions may be listed on two Fridays (to be taken up after the Private Members' Business) and on such other days as the state of business may permit.

The Committee authorised Shri Rajendra Gupta, Minister of Legislative Affairs and in his absence by Shri Mahinder Singh Saathi to present the Report of the Committee to the House.

CHARTI LAL GOEL CHAIRMAN BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

DELHI

Dated:

March, 1998